कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक–व0उ0आ0–   /41–1   दिनांक, लखनऊ, जुलाई   6   ,2012

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक (क्षेत्रीय)
उ0प्र0।

विषयः विनियर/प्लाईवुड इकाईयों के आरामशीन लाइसेंसो को समर्पित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः इस कार्यालय का पत्रांक–व0उ0आ0 618 दिनांक 26.12.2011

सैन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के पत्र दिनांक 19.04.2007 की संस्तुति (जो मा0 उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिनांक 18.05.2007 में स्वीकार की) के अनुसार विनियर/प्लाईवुड इकाईयों को यह विकल्प होगा कि वह आरामिल के रुप में कार्य करें अथवा विनियर/प्लाईवुड इकाई के रुप में कार्य करें। पुनः सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के बैठक दिनांक 08.06.2007 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :–

"Plywood/Veneer with saw mill licence shall have the option to continue as a saw mill or as a veneer/plywood unit."

उक्त निर्णय के क्रम में संदर्भित पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था कि विनियर/प्लाईवुड के मालिक/साझेदार जिनके पास आरामशीन लाइसेंस है, उन इकाईयों को विनियर/प्लाईवुड के रुप में कार्य करने की अनुमति होगी या आरामशीन इकाई के रुप में। यदि ऐसी इकाईयां विनियर/प्लाईवुड इकाई के रुप में कार्य करना चाहती हैं तो उन्हें अपना आरामशीन लाइसेंस समर्पित करना होगा। इसी प्रकार यदि इकाईयां आरामशीन के रुप में कार्य करना चाहती है तो उन्हें विनियर/प्लाईवुड इकाई के रुप में अनुमति नहीं दी जायेगी।

उक्त आदेश के अनुपालन में कई इकाईयों द्वारा प्रत्यावेदन प्राप्त हुये जिसमें पूछा गया है कि इकाई परिसर के अन्दर साझीदार के नाम आरामशीन लाइसेंस है व परिसर के बाहर आरामशीन मालिक/साझीदार के नाम से आरामिल लाइसेंस है तो उनको भी समर्पित कराया जाना है या नहीं। इस सम्बन्ध में पुनः सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने अपने पत्रांक–F. No. 2-24/CEC/SC/10-Pt. V दिनांक 04.07.2012 के द्वारा निम्न दिशा निर्देश प्राप्त हुये है:–

"........the applicant wood-based industries have the option to continue either as saw mill or as plywood/veneer unit (for the units having saw mill license and who have also established plywood/veneer units) irrespective of both the unit being in the same compound or a different places. Similarly, if the plywood/veneer unit is being run by a firm unless the partner(s) has /have surrendered saw mill license(s) it will not be eligible for plywood/veneer license. This will also apply if the saw mill is located in a different compound."

अतः विनियर/प्लाईवुड इकाई के रुप में कार्यरत इकाई के मालिकों/साझीदारों के पास आरामशीन लाइसेंस (चाहें उनकी आरामशीन इकाई परिसर में हो या इसके बाहर) है तो उसे तत्काल समर्पित कराके कृत कार्यवाही से सूचित करें। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(जे0एस0 अस्थाना)
प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0,
लखनऊ

पत्रांक–व0उ0आ0–   (1)/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन संरक्षक(क्षेत्रीय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे0एस0 अस्थाना)
प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0,
लखनऊ

पत्रांक–व0उ0आ0– 25   (2)/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति, उ0प्र0 को सूचनार्थ व इस आशय से कि संदर्भित पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) में दिये निर्देश संख्या–2 का अनुपालन करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

5.7.12

(जे0एस0 अस्थाना)
प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0,
लखनऊ